

127117

श्री. श्री. श्री.

पत्रावली आज राजस्व लेखकालत  
 केन्द्र कावली कला में प्रिण्ट हुई।  
 वादी वकील उपरो वरदा वकील ने  
 इल वाद को झुमे नहीं चलाने का  
 हिदायत दी। अतः इल वाद में कावली  
 का प्रवली इली स्तर पर समाप्त की जाती है।  
 पत्रावली केवल शुभारंभ के लिए प्रवली है।

उपखण्ड अधिकारी  
 चौहटन

11/1/80

11/1/80

11/1/80